अनुसूची14–फारम सं0 563

| आदेश की क्रम–संख्या और तारीख<br>1 | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर<br>2 | आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी ,तारीख के साथ<br>3 |
|---|---|---|
| | न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी अरवल<br>वाद सं. 1013/11 धारा–188 भा0द0वि0<br>89/12<br>राजकुमारी देवी बनाम राधा प्रसाद वगैरह<br>आदेश | |
| 21.2.12 | द्वितीय पक्ष को सुना। एवं दाखिल लिखित बहस का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष अनुपस्थित रहे, और नहीं अपनी ओर से लिखित बहस ही प्रस्तुत कर पाये।<br>प्रथम पक्ष अपने मूल आवेदन में द्वितीय पक्ष पर यह आरोप लगाया गया था कि धारा–144 द0प्र0सं0 की कार्यवाही चलने के दौरान प्रश्नगत भूमि पर कार्य किया गया है लेकिन द्वितीय पक्ष द्वारा इस आरोप को गलत बताते हैं और कहते हैं कि धारा–144 द0प्र0सं0 के प्रारम्भ होने के पूर्व आवासीय मकान बनाकर रह रहे हैं। | |

अनुसूची14—फारम सं0 563

| आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1 | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2 | आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी ,तारीख के साथ 3 |
|---|---|---|
| | प्राप्त पुलिस जांच प्रतिवेदन जो प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन में यह कहीं उल्लेख नहीं किया गया है कि ग्राम जमुहारी में किन-किन ग्रामीणों के समक्ष जाँच पड़ताल किया, एवं उस प्रतिवेदन में गवाह का भी नाम अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार अधूरा प्रतिवेदन पर किसी प्रकार का कारवाई करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः, वाद की कार्यवाही समाप्त कि जाती है। लेखापित एवं संशोधित अनु0 पदा0 म0 कुल (signature) अनु0 पदा0 म0 कुल (signature) | |